# <u>महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), मुंबई</u>

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून खालील संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी विहित अर्हता धारण करीत असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावयाची सुविधा म्हाडाच्या http://mhada.maharashtra.gov.in आणि http://mhada.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. तसेच सदर जाहिरात म्हाडाच्या या संकेतस्थळावर दि.०८/०२/२०१३ ते दि.२७/०२/२०१३ पर्यंत उपलब्ध आहे.

| **ऑनलाईन अर्ज करण्याचा दिनांक** | **ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत** |
|---|---|
| दिनांक ०८/०२/२०१३ पासून | दिनांक २७/०२/२०१३ पर्यंत |
| **बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये चलनाद्वारे फी भरण्याची मुदत**<br>दिनांक ११/०२/२०१३ ते दिनांक ०४/०३/२०१३ पर्यंत (बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत) | |
| **ऑनलाईन परीक्षेचा अंदाजित दिनांक** ३०/०३/२०१३ आणि / किंवा ३१/०३/२०१३ | |
| **लेखी परीक्षेचा अंदाजित दिनांक** ०७/०४/२०१३ | |

भरती प्रक्रिये संदर्भातील सर्व कार्यक्रम व सूचना म्हाडाच्या वरील संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येतील. भरती प्रक्रिये संदर्भातील निर्णयाचे सर्व अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांना राहतील व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील.

**१. भरावयाच्या पदांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे :**

| अ.क्र | संवर्गाचे नाव व वेतन संरचना | गट | सामाजिक आरक्षण | | समांतर आरक्षण | | | | | | समांतर आरक्षण विरहीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जातीचा प्रवर्ग | पद संख्या | माजी सैनिक १५% | प्रकल्प-ग्रस्त ५% | भूकंप-ग्रस्त २% | महिला ३०% | खेळाडू ५% | अंशकालीन कर्मचारी १०% | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १ | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) पीबी १५६००-३९१०० जीपी ६६०० | अ | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **१** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **१** |
| २ | उप अभियंता (स्थापत्य) पीबी १५६००-३९१०० जीपी ५४०० | अ | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | ४ | - | - | - | १ | - | - | ३ |
| | | | विजा(अ) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **६** | **-** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **५** |

| अ.क्र | संवर्गाचे नाव व वेतन संरचना | गट | सामाजिक आरक्षण | | समांतर आरक्षण | | | | | | समांतर आरक्षण विरहीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जातीचा प्रवर्ग | पद संख्या | माजी सैनिक १५% | प्रकल्प-ग्रस्त ५% | भूकंप-ग्रस्त २% | महिला ३०% | खेळाडू ५% | अंशकालीन कर्मचारी १०% | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| ३ | उप अभियंता (विद्युत)<br><br>पीबी १५६००-३९१०० जीपी ५४०० | अ | अ.जा. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | अ.ज. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | २ | - | - | - | १ | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **४** | **-** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **३** |
| ४ | लेखाधिकारी (वर्ग-१)<br><br>पीबी १५६००-३९१०० जीपी ५४०० | अ | अ.जा. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | अ.ज. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **२** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **२** |
| ५ | सहाय्यक लेखाधिकारी<br><br>पीबी ९३००-३४८०० जीपी ४४०० | ब | अ.जा. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | अ.ज. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **२** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **२** |
| ६ | मिळकत व्यवस्थापक/ प्रशासकीय अधिकारी<br><br>पीबी ९३००-३४८०० जीपी ४४०० | ब | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | खुला | ४ | - | - | - | १ | - | - | ३ |
| | | | **एकूण** | **५** | **-** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **४** |

| अ.क्र | संवर्गाचे नाव व वेतन संरचना | गट | सामाजिक आरक्षण | | समांतर आरक्षण | | | | | | समांतर आरक्षण विरहीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जातीचा प्रवर्ग | पद संख्या | माजी सैनिक १५% | प्रकल्प-ग्रस्त ५% | भूकंप-ग्रस्त २% | महिला ३०% | खेळाडू ५% | अंशकालीन कर्मचारी १०% | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| ७ | सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) (श्रेणी-२)<br><br>पीबी ९३००-३४८०० जीपी ४४०० | ब | अ.जा. | ३ | - | - | - | १ | - | - | २ |
| | | | अ.ज. | ४ | - | - | - | १ | - | - | ३ |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(क) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | खुला | ११ | - | - | - | ३ | १ | - | ७ |
| | | | **एकूण** | **२१** | **-** | **-** | **-** | **५** | **१** | **-** | **१५** |
| ८ | लेखापाल<br><br>पीबी ९३००-३४८०० जीपी ४३०० | ब | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **१** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **१** |
| ९ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी)<br><br>पीबी ९३००-३४८०० जीपी ४४०० | क | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **१** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **१** |
| १० | कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ सहाय्यक<br><br>पीबी ९३००-३४८०० जीपी ४३०० | क | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(क) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **२** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **२** |

| अ.क्र | संवर्गाचे नाव व वेतन संरचना | गट | सामाजिक आरक्षण | | समांतर आरक्षण | | | | | | समांतर आरक्षण विरहीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जातीचा प्रवर्ग | पद संख्या | माजी सैनिक १५% | प्रकल्प-ग्रस्त ५% | भूकंप-ग्रस्त २% | महिला ३०% | खेळाडू ५% | अंशकालीन कर्मचारी १०% | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| ११ | कनिष्ठ | क | अ.जा. | ८ | १ | - | - | २ | - | १ | ४ |
| | अभियंता | | अ.ज. | ७ | १ | - | - | २ | - | १ | ३ |
| | (स्थापत्य) | | विजा(अ) | ३ | - | - | - | १ | - | - | २ |
| | | | भ.ज.(ब) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | पीबी ९३००- | | भ.ज.(क) | ३ | - | - | - | १ | - | - | २ |
| | ३४८०० | | भ.ज.(ड) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | जीपी ४३०० | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | ९ | १ | - | - | ३ | - | १ | ४ |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **३२** | **३** | **-** | **-** | **९** | **-** | **३** | **१७** |
| १२ | कनिष्ठ | क | अ.जा. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | अभियंता | | अ.ज. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (विद्युत) | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पीबी ९३००- | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ३४८०० | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | जीपी ४३०० | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | ४ | १ | - | - | १ | - | - | २ |
| | | | **एकूण** | **५** | **१** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **३** |
| १३ | सहाय्यक | क | अ.जा. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | अ.ज. | २ | - | - | - | १ | - | - | १ |
| | पीबी ९३००- | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ३४८०० | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | जीपी ४२०० | | भ.ज.(क) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **५** | **-** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **४** |
| १४ | कनिष्ठ | क | अ.जा. | १४ | २ | १ | - | ४ | १ | १ | ५ |
| | लिपीक- | | अ.ज. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | टंकलेखक | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पीबी ५२००- | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | २०२०० | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | जीपी १९०० | | वि.मा.प्र. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | इमाव | ३३ | ५ | २ | १ | १० | २ | ३ | १० |
| | | | खुला | ३१ | ५ | २ | १ | ९ | २ | ३ | ९ |
| | | | **एकूण** | **७९+ *३ =८२** | **१२** | **५** | **२** | **२३** | **५** | **७** | **२५** |

| अ.क्र | संवर्गाचे नाव व वेतन संरचना | गट | सामाजिक आरक्षण | | समांतर आरक्षण | | | | | | समांतर आरक्षण विरहीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जातीचा प्रवर्ग | पद संख्या | माजी सैनिक १५% | प्रकल्प-ग्रस्त ५% | भूकंप-ग्रस्त २% | महिला ३०% | खेळाडू ५% | अंशकालीन कर्मचारी १०% | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १५ | भुमापक | क | अ.जा. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | अ.ज. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | पीबी ५२००- | | विजा(अ) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | २०२०० | | भ.ज.(ब) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | जीपी १९०० | | भ.ज.(क) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **५** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **५** |
| १६ | तारतंत्री | क | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | पीबी ५२००- | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | २०२०० | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | जीपी १९०० | | भ.ज.(क) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | भ.ज.(ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | खुला | २ | - | - | - | १ | - | - | १ |
| | | | **एकूण** | **३** | **-** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **२** |
| १७ | वाहनचालक | क | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | पीबी ५२००- | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | २०२०० | | भ.ज.(ब) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | जीपी १९०० | | भ.ज.(क) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | भ.ज.(ड) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | | वि.मा.प्र. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | इमाव | २ | | | | १ | | | १ |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **५** | **-** | **-** | **-** | **१** | **-** | **-** | **४** |
| १८ | शिपाई | ड | अ.जा. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | अ.ज. | ८ | १ | - | - | २ | - | १ | ४ |
| | -१ एस | | विजा(अ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ४४४०-७४४० | | भ.ज.(ब) | ५ | १ | - | - | २ | - | १ | १ |
| | जीपी १३०० | | भ.ज.(क) | ४ | १ | - | - | १ | - | - | २ |
| | | | भ.ज.(ड) | ३ | - | - | - | १ | - | - | २ |
| | | | वि.मा.प्र. | ४ | १ | - | - | १ | - | - | २ |
| | | | इमाव | २१ | ३ | १ | - | ६ | १ | २ | ८ |
| | | | खुला | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **एकूण** | **४५** | **७** | **१** | **-** | **१३** | **१** | **४** | **१९** |

***** - कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक या संवर्गातील अपंगांकरीता आरक्षित असलेली **३** पदे चलनवलन विषयक विकलांगता या प्रवर्गाकरीता आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

- वरील अ.क्र. १ ते १४ येथील पदांची नियुक्ती सुधारीत सेवा प्रवेश नियमावलीस आणि अ.क्र. १५ व १६ येथील भूमापक व तारतंत्री या पदावरील नियुक्ती प्रारुप सेवाप्रवेश नियमावलीस शासन मान्यता मिळण्याचे अधिन राहून करण्यात येईल.

**२. खालील नमूद असलेली वयोमर्यादा व शैक्षणिक अर्हता दिनांक २७/२/२०१३ रोजी उमेदवाराने धारण केलेली असणे आवश्यक आहे.**

| अ.क्र. | संवर्गाचे नाव | गट | अर्हता / अनुभव | किमान व कमाल वयोमर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| १ | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | अ | i) महाराष्ट्र शासन मान्य विद्यापिठातील विद्युत अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी धारण केलेली असावी.<br>ii) वरील पदवी धारण केल्यानंतर शासकीय/निमशासकीय/मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३५ वर्षे |
| २ | उप अभियंता (स्थापत्य) | अ | i) महाराष्ट्र शासन मान्य विद्यापिठातील स्थापत्य अथवा बांधकाम अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी धारण केलेली असावी.<br>ii) वरील पदवी धारण केल्यानंतर शासकीय /निमशासकीय/मंडळे/ महामंडळे / सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालया तील ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| ३ | उप अभियंता (विद्युत) | अ | i) महाराष्ट्र शासन मान्य विद्यापिठातील विद्युत अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी धारण केलेली असावी.<br>ii) वरील पदवी धारण केल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय/मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| ४ | लेखाधिकारी (वर्ग-१) | अ | i) संविधानिक विद्यापिठातील वाणिज्य शाखेतील किमान द्वितीय श्रेणीतील पदवीधर असावा.<br>ii) अकाऊंटन्ट जनरल कार्यालयाकडून घेण्यात येणारी सबोर्डीनेट ऑडीट सर्व्हीस एक्झामिनेशन ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असावा.<br>iii)वरील i) व ii) प्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतर शासकीय/निम शासकीय/ मंडळे/ महामंडळे/सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील लेखाधिकारी या पदावर ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ४० वर्षे |
| ५ | सहाय्यक लेखाधिकारी | ब | i) संविधानिक विद्यापिठातील कला, वाणिज्य, सायन्स अथवा कायदे शाखेतील द्वितीय श्रेणीतील पदवीधर असावा.<br>ii)अकाऊंटन्ट जनरल कार्यालयाकडून घेण्यात येणारी डिव्हीजनल अकाऊंटन्ट परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असावा.<br>iii)वरील i) व ii) प्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतरशासकीय/निमशासकीय/मंडळे/ महा मंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील अकाऊंटन्ट पदावर ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३५ वर्षे |

| अ.क्र. | संवर्गाचे नाव | गट | अर्हता / अनुभव | किमान व कमाल वयोमर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| ६ | मिळकत व्यवस्थापक/ प्रशासकीय अधिकारी/ | ब | i) महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त विद्यापिठातील कला, वाणिज्य, सायन्स अथवा कायदे शाखेतील पदवीधर असावा.<br>ii) शासन मान्यता प्राप्त संस्थेकडून लोक प्रशासन (पब्लीक ॲडमिनीस्ट्रेशन) किंवा बिझनेस मॅनेजमेंट मधील पदवी किंवा पदवीका धारकास प्राधान्य दिले जाईल.<br>iii) वरील शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय /मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील प्रशासकीय कामाचा किंवा भुव्यवस्थापनाचा ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| ७ | सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) (श्रेणी-२) | ब | i) महाराष्ट्र शासन मान्य विद्यापिठातील स्थापत्य अथवा बांधकाम अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी धारण केलेली असावी.<br>ii) वरील पदवी धारण केल्यानंतर शासकीय/निमशासकीय/मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| ८ | लेखापाल | ब | i) महाराष्ट्र शासन मान्य विद्यापिठातील कला, वाणिज्य, सायन्स अथवा कायदे शाखेतील पदवीधर असावा.<br>ii) या पदावर नियुक्त होणा-या उमेदवारांनी नियुक्तीपासून २ वर्षाच्या आत महालेखाकार, नागपूर या विभागाकडील Accounts Grade ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. | १८ ते ३३ वर्षे |
| ९ | लघुलेखक (उ.श्रे.) | क | i) महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) अथवा महाराष्ट्र शासन मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.<br>ii) महाराष्ट्र शासनाकडून घेण्यात येणारी मराठी लघुलेखनाची १२० शब्द प्रति मिनीट आणि मराठी टंकलेखनाची ३० शब्द प्रति मिनीट परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचे (G.C.C.) प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १० | कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ सहाय्यक | क | i) संविधानिक विद्यापिठातील वास्तुशास्त्र शाखेचा पदवीधर असावा.<br>ii) वरील पदवी धारण केल्यानंतर आर्किटेक्ट ॲक्ट १९७२ नुसार कौन्सील ऑफ आर्किटेक्ट या संस्थेशी नोंदणीकृत असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| ११ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | क | i) महाराष्ट्र शासन मान्य संस्थेतील स्थापत्य अथवा बांधकाम अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीकाधारक असावा.<br>ii) वरील पदविका धारण केल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय/ मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील २ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |

| अ.क्र. | संवर्गाचे नाव | गट | अर्हता / अनुभव | किमान व कमाल वयोमर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| १२ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | क | i) महाराष्ट्र शासन मान्य संस्थेतील विद्युत अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीकाधारक असावा.<br>ii) वरील पदविका धारण केल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय/ मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील २ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १३ | सहाय्यक | क | i) संविधानिक विद्यापिठातील कला, वाणिज्य, सायन्स अथवा कायदे शाखेतील पदवीधर असावा.<br>ii) वरील पदवी धारण केल्यानंतर शासकीय/निम शासकीय/मंडळे/ महामंडळे/ सरकारी उपक्रमे अथवा नोंदणीकृत सुप्रस्थापित कंपनी/फर्म कार्यालयातील ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा प्रशासकीय कामाचा अनुभव असावा. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १४ | कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक | क | i) महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) अथवा महाराष्ट्र शासन मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.<br>ii)महाराष्ट्र शासनाकडून घेण्यात येणारी इंग्रजी टंकलेखनाची ४० शब्द प्रतिमिनीट अथवा मराठी टंकलेखनाची ३० शब्द प्रति मिनीट परीक्षा (G.C.C.) उत्तीर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १५ | भूमापक | क | i) महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) अथवा महाराष्ट्र शासन मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.<br>ii) माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर शासकीय किंवा शासन मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून देण्यात आलेले भूमापक विषयाचे २ वर्षाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १६ | तारतंत्री | क | i) महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) अथवा महाराष्ट्र शासन मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.<br>ii) शासकीय किंवा शासन मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून देण्यात आलेले तारतंत्री (wireman) या विषयाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.<br>iii) महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असणे आवश्यक. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १७ | वाहनचालक | क | i) महाराष्ट्र शासन मान्य प्राथमिक शाळेचे किमान इयत्ता ४थी परीक्षा उत्तीर्ण, आणि मराठी व हिंदी लिहीता वाचता येणे आवश्यक<br>ii) मोटार व्हेईकल ॲक्ट १९८८नुसार अवजड वाहने अथवा मोटार गाडी अथवा जीप चालविण्याचा परवाना धारण केलेला असावा.<br>iii) वरील प्रमाणे वाहने चालविण्याचा परवाना धारण केल्यानंतर किमान ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा अनुभव असावा.<br>iv) स्वच्छ चारित्र्य आणि वाहने दुरुस्त करण्याचे ज्ञान असावे आणि<br>v) उत्तम शरीर स्वास्थ्य आणि संबंधित विभागाचे भौगोलिक ज्ञान असणे आवश्यक. | १८ ते ३३ वर्षे |
| १८ | शिपाई | ड | महाराष्ट्र शासन मान्य प्राथमिक शाळेचे किमान इयत्ता ४ थी परीक्षा उत्तीर्ण. | १८ ते ३३ वर्षे |

## ३) वयोमर्यादा :-

| अ. क्र | खालील उमेदवारांकरीता कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता राहील | कमाल वयोमर्यादा |
|---|---|---|
| १ | महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवार यांचेसाठी | कमाल वयोमर्यादेच्या ५ वर्षे अधिक |
| २ | प्रकल्पग्रस्त यांचेसाठी | ४५ वर्षा पर्यंत |
| ३ | अपंग उमेदवार यांचेसाठी | ४५ वर्षा पर्यंत |
| ४ | अ) माजी सैनिक यांचेसाठी | विहीत वयोमर्यादेतील सुट सदर उमेदवाराच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवे इतका कालावधी अधिक ३ वर्षे इतका राहील. |
| | ब) अपंग माजी सैनिक यांचेसाठी | ४५ वर्षा पर्यंत |
| ५ | अंशकालीन उमेदवार यांचेसाठी | ४६ वर्षा पर्यंत |
| ६ | खेळाडू उमेदवार यांचेसाठी | ५ वर्षा पर्यंत वयाची अट शिथील |
| ७ | भूकंपग्रस्त उमेदवार यांचेसाठी | ४५ वर्षा पर्यंत |
| ८ | स्वातंत्र संग्राम सैनिकाचे नामनिर्देशित पाल्य, १९९१ चे जनगणना कर्मचारी व १९९४ नंतरचे निवडणूक कर्मचारी उमेदवार यांचेसाठी | ४५ वर्षा पर्यंत |
| ९ | म्हाडाच्या सेवेतील कर्मचारी | कमाल वयोमर्यादेची अट शिथील राहील. |

## ४) परीक्षेचे स्वरुप :-

१) खालील पदांसाठी उमेदवारांची निवड करताना २०० गुणांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार असून सदर परीक्षेकरीता खालीलप्रमाणे विषय असतील.

| अ. क्र. | पदनाम | परीक्षेचे स्वरुप व गुण (विषय) |
|---|---|---|
| १<br>२<br>३<br>४<br>५ | कार्यकारी अभियंता (विद्युत)<br>उप अभियंता (स्थापत्य)<br>उप अभियंता (विद्युत)<br>सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) (श्रेणी-२)<br>कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ सहाय्यक | मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौध्दिक चाचणी प्रत्येकी २५ गुण याप्रमाणे १०० गुण आणि संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय १०० गुण याप्रमाणे<br>**एकूण २०० गुण** |
| ६<br>७ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)<br>कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व अंकगणित प्रत्येकी २५ गुण याप्रमाणे १०० गुण आणि संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय १०० गुण याप्रमाणे<br>**एकूण २०० गुण** |
| ८<br>९<br>१०<br>११ | लेखा अधिकारी (वर्ग-१)<br>सहाय्यक लेखा अधिकारी<br>लेखापाल<br>मिळकत व्यवस्थापक / प्रशासकीय अधिकारी | मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौध्दिक चाचणी प्रत्येकी ५० गुण याप्रमाणे<br>**एकूण २०० गुण** |
| १२<br>१३<br>१४<br>१५<br>१६ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी)<br>सहाय्यक<br>कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक<br>भूमापक<br>तारतंत्री | मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व अंकगणित प्रत्येकी ५० गुण याप्रमाणे<br>**एकूण २०० गुण** |

**टिप** :- ऑनलाईन परीक्षेत प्रत्येक चूक उत्तरादाखल सदर प्रश्नांसाठी असलेल्या गुणाच्या एक चर्तुथांश गुण वजा करण्यात येतील

- शिपाई व वाहन चालक पदासाठी पुढील प्रमाणे परीक्षा राहील.

| अ.क्र. | पदनाम | **लेखी परीक्षा** | **व्यावसायिक चाचणी** |
|---|---|---|---|
| १ | वाहन चालक | सर्वसाधारण स्वरुपाचे सामान्य ज्ञान ५० प्रश्नांची चाचणी - **१०० गुण** | ८० गुणांची वाहन चालन परीक्षा |
| २ | शिपाई | सर्वसाधारण स्वरुपाचे सामान्य ज्ञान ५० प्रश्नांची चाचणी - **१०० गुण** | --- |

**टिप** :- सदर लेखी परीक्षेत निगेटीव मार्कींग (Negative Marking) नसेल.

## ५) परीक्षा शुल्क :-

| | | |
|---|---|---|
| खुल्या प्रवर्गाकरीता | रू. ४००/- | सदर नमूद शुल्काव्यतिरिक्त उमेदवाराने बँक ऑफ महाराष्ट्र ला सेवा शुल्क बँक चार्जेस नुसार अदा करावयाचे आहेत |
| मागास प्रवर्गाकरीता | रू. २००/- | |

**टिप** - अ) उमेदवाराला एकापेक्षा जास्त पदासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास प्रत्येक पदासाठी स्वंतत्र अर्ज व स्वतंत्र परीक्षा शुल्क भरावे लागेल.
ब) माजी सैनिकांना परीक्षा शुल्क लागू नाही.

## ६) ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत :-

(१) सर्व पात्र उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत http://mhada.maharashtra.gov.in किंवा http://mhada.org या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) अर्ज करावेत.

(२) स्वत:चा मोबाईल नंबर व ईमेल आयडी काळजीपुर्वक भरावा. अर्ज करतांना प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक नाही. तथापि, ऑनलाईन अर्जामध्ये संपूर्ण माहिती भरणे आवश्यक आहे. अर्ज भरतांना काही त्रुटी राहिल्यास संगणक अर्ज स्वीकारणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांने अचूक व परिपूर्ण अर्ज भरण्याची दक्षता घ्यावी.

(३) उमेदवाराने सोबत **परिशिष्ट "ब"** मधील सूचनांनुसार प्रथम स्वत:चे छायाचित्र व स्वाक्षरी स्कॅन करावी. उमेदवाराने स्वत:चे छायाचित्र व स्वाक्षरी स्कॅन करून अपलोड करावी. असे करतांना ऑनलाईन जाहिरातीत नमूद केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे अन्यथा उमेदवाराचा अर्ज पात्र होणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

i) उमेदवाराने अर्ज भरण्यासाठी http://mhada.org किंवा http://mhada.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरण्याची लिंक (Link) उघडावी.

ii) अर्ज काळजीपुर्वक भरावा. उमेदवार एकाचवेळी अर्ज भरु न शकल्यास त्याने सदर अर्ज भरलेल्या माहितीसह सेव्ह (Save) करावा. माहिती सेव्ह होताच, नोंदणी क्रमांक व पासवर्ड आपोआप निर्माण होऊन तो स्क्रीनवर दिसेल. अर्जदाराने सदर नोंदणी क्रमांक व पासवर्ड याची योग्य ती नोंद घ्यावी. नोंदणी क्रमांक व पासवर्ड अर्जदारास एसएमएस व ई-मेलद्वारे कळविण्यात येईल. अर्जदाराला सेव्ह केलेली माहिती नोंदणी क्रमांक व पासवर्डचा वापर करून आवश्यकतेनुसार पुन्हा उघडता येईल व नव्याने तपशिलाचे संकलन / सुधारणा (Edit) करता येईल. ही सुविधा फक्त तीन वेळाच वापरता येईल. संपुर्ण व अचूक माहिती भरुन झाल्यावर उमेदवाराने अर्ज सादर (Submit) करावा. तद्नंतर उमेदवाराने त्वरीत परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी संगणक प्रणालीद्वारा तयार होणारी (System Generated Fee Payment Challan) चलन / पावतीची प्रत मुद्रण करून (Print Out) घ्यावी. यानंतर अर्जात कोणताही बदल करता येणार नाही. या टप्प्यापर्यंत अर्जाची नोंदणी तात्पुरती (Provisional) असेल.

(४) परीक्षा शुल्क भरणे :-

i) वरीलप्रमाणे अर्जाची तात्पुरती नोंदणी केल्याच्या दिनांका नंतरच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवसा पासून (Second working day) तीन दिवसात (उदा. उमेदवाराने दि.११/२/२०१३ रोजी अर्जाची तात्पुरती नोंदणी केल्यास दि.१३/२/२०१३ पासून ते दि.१५/२/२०१३ पर्यंत) बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या कोणत्याही शाखेत परीक्षा शुल्क भरता येईल. सदर शुल्क भरण्यासाठी संगणक प्रणालीद्वारे निर्मित (System Generated Fee Payment Challan) चलनाचा वापर करावा लागेल. (उदा:- एखाद्या उमेदवाराने दि.१४/२/२०१३ रोजी तात्पुरती नोंदणी केल्यास असा उमेदवार दि.१६/२/२०१३ ते दि.२०/२/२०१३ या कार्यालयीन [म्हणजेच १७/२/२०१३ हा रविवार व दिनांक १९/०२/२०१३ हा सार्वजनिक

सुटटीचा दिवस (Non Working Day/Bank Holiday) वगळून] परीक्षा शुल्क बँकेत जमा करू शकतो.) परीक्षा शुल्काचा भरणा बँकेत केल्यावर अर्ज नोंदणी प्रक्रीया पुर्ण हाईल. उमेदवारांनी परीक्षा शुल्क भरल्याची पावती जपून ठेवावी व छाननीच्यावेळी त्याची प्रत सादर करावी.

ii) परीक्षा शुल्क बँकेत भरल्यापासून पुढील दोन दिवसानंतर (After Two Working Days) नोंदणी कायम (Confirm)झाल्याचे एसएमएस व ईमेलद्वारे उमेदवारास कळविण्यात येईल. त्या करिता अचूक मोबाईल नंबर व ईमेल आयडी भरल्याची खात्री उमदेवाराने करावी.

iii) परीक्षा शुल्क बँकेत भरल्यापासून ३ दिवसानंतर उमेदवार माहितीने भरलेल्या अर्जाची मुद्रीत प्रत काढू शकतो.

(५) प्रस्तुत पदांकरीता फक्त अधिकृत संकेतस्थळावरुन विहित पध्दतीने भरलेले ऑनलाईन पध्दतीने केलेले अर्ज स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत.

(६) पात्र उमेदवाराला वेब-बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अर्ज http://mhada.maharashtra.gov.in किंवा http://mhada.org या वेबसाईटद्वारे दि.०८/०२/२०१३ ते दि. २७/०२/२०१३ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील.

(७) ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना http://mhada.maharashtra.gov.in किंवा http://mhada.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

(८) ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताना उमेदवाराजवळ स्वत:चा चालू ई-मेल आयडी असणे आवश्यक आहे. पुढील सर्व पत्रव्यवहार उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जात नोंदविलेल्या ई-मेल आयडी द्वारे होणार असल्याने अचूक ई-मेल आयडी नोंदवणे व सदर ईमेल आयडी भरती प्रक्रीया पुर्ण होई पर्यंतच्या कालावधी पर्यंत चालू असणे आवश्यक आहे व याबाबत उमेदवारास कोणतीही तक्रार करता येणार नाही.

(९) ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम तारखेनंतर संकेतस्थळावरील अर्ज भरण्याची लिंक बंद केली जाईल. तथापि फी भरल्यानंतर भरलेल्या शुल्काची माहिती असलेल्या उमेदवाराच्या अर्जाची प्रत त्यानंतर तीन दिवसांनी घेता येईल.

(१०) ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेच्या सर्व टप्प्यातील माहिती परिपूर्ण भरुन विहित परीक्षा शुल्क भरलेल्या उमेदवारांची यादी, परीक्षेची रुपरेषा/वेळापत्रक/परीक्षाकेंद्र/बैठक क्रमांक इत्यादी बाबतची माहिती वर दिलेल्या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध राहील. या संबंधी स्वतंत्र पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. सदर संकेतस्थळाला भरती प्रक्रिये दरम्यान वेळोवेळी भेट देऊन भरती प्रक्रियेची अद्ययावत माहिती जाणून घेण्याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील.

## ७) निवडीचे निकष :-

१) गुणवत्ता यादीत अंतर्भाव करण्यासाठी उमेदवाराने ऑनलाईन / लेखी परीक्षेत एकुण गुणांच्या किमान ४५% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. तसेच सदर निकषानुसार पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास निकष शिथील करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांना राहतील.

२) मिळकत व्यवस्थापक / प्रशासकीय अधिकारी या पदाच्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांपैकी शासन मान्यता प्राप्त संस्थेकडून लोक प्रशासन (पब्लीक ॲडमिनीस्ट्रेशन) किंवा बिजनेस मॅनेजमेंटमधील पदवी किंवा पदविका धारण करणाऱ्या उमेदवारास नियुक्तीकरीता प्राधान्य दिले जाईल.

३) पदासाठी विहित केलेल्या अर्हता / अटी / शर्ती पुर्ण करणाऱ्या पात्र उमेदवारांची सदर परीक्षेत प्राप्त गुणांच्या आधारे बनविलेल्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांकडून विहित आरक्षणानुसार निवड यादी बनविण्यात येईल.

४) एकाच पदासाठी दोन किंवा अधिक उमेदवारांना समान गुण मिळाल्यास खालील प्राधान्य क्रमाच्या आधारे उमेदवाराची अंतिम निवड केली जाईल.

i) अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार, त्यानंतर

ii) मागास वर्गीय उमेदवाराच्या बाबतीत प्रथम अनुसूचित जमातीमधील नंतर अनुसूचित जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती (१४ व तत्सम जाती, भटक्या जमाती जानेवारी-१९९० पूर्वीच्या २८ तत्सम जमाती), भटक्या जमाती (धनगर व तत्सम), इतर मागासवर्ग या क्रमाने; त्यानंतर

iii) शारीरिक दृष्ट्या अपंग असलेले उमेदवार, त्यानंतर

iv) माजी सैनिक असलेले उमेदवार, त्यानंतर

v) स्वातंत्र्य सैनिकाचे पाल्य असलेले उमेदवार, त्यानंतर

vi) वय (वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवाराचा क्रम वरती लागेल.)

वरील प्रत्येक संवर्गामध्ये महिलांना अग्रक्रम देण्यात येईल.

## ८) वरील पदांकरीता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना :

१) स्पर्धात्मक परीक्षा स्थगित करणे व रद्द करणे, परीक्षेचे स्वरुप, तारीख व ठिकाणात बदल करणे, पदसंख्या, अनुशेष व आरक्षण यात वाढ किंवा घट करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांना राहील व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. त्याबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही. वर दर्शविण्यात आलेल्या समांतर आरक्षणाचा पात्र उमेदवार प्राप्त न झाल्यास सामाजिक आरक्षणाच्या त्याच राखीव प्रवर्गातील इतर पात्र उमेदवारांचा नियमानुसार विचार केला जाईल. तसेच भरती प्रक्रिये संदर्भात वाद, तक्रारी बाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांना राहील व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. याबाबत कोणत्याही पत्रव्यवहाराची दखल घेतली जाणार नाही.

२) ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी त्यांचे नाव रोजगार व स्वंयरोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे सेवायोजन कार्यालय/समाज कल्याण/आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी/जिल्हा सैनिक बोर्ड कार्यालयात नांवे नोंदविलेली आहेत अशा उमेदवारांना देखील परीक्षेसाठी स्वतंत्ररित्या ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहिल. तसेच प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन इत्यादी समांतर आरक्षणांतर्गत येणा-या उमेदवारांनी देखील भरतीच्या अधिकृत वेबसाईटवर स्वतंत्रपणे अर्ज ऑनलाईनच सादर करणे आवश्यक आहे. अशा उमेदवारांनी अन्य कोणत्याही मार्गाने सादर केलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. अशा उमेदवारांना या कार्यालयामार्फत स्वतंत्रपणे कळविले जाणार नाही.

३) उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन (Online) पध्दतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने अर्ज करतांना, शैक्षणिक कागदपत्रे, अन्य प्रमाणपत्रे जोडणे आवश्यक नाही. तथापि, ऑनलाईन अर्जामध्ये उमेदवाराने त्यांच्या पात्रतेनुसार काळजी पूर्वक संपुर्ण व खरी माहिती भरणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरतांना काही चुका झाल्यास किंवा त्रुटी राहील्यास व भरतीच्या कोठल्याही टप्प्यावर अर्ज नाकारला गेल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत उमेदवाराची राहील याबाबत उमेदवारास तक्रार करता येणार नाही. ऑनलाईन अर्जात भरलेली माहिती बदलता येणार नाही. जाहिरातीत नमूद केलेल्या सर्व अटी तसेच शैक्षणिक अर्हता व मागणीनुसार आरक्षण, वयोमर्यादा शिथिलीकरण इत्यादी पात्रता तपासूनच उमेदवारानी ऑनलाईन अर्ज भरावा.

४) उमेदवारांची परीक्षा ही त्यांनी ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेल्या गृहित पात्रतेनुसार कोणतीही कागदपत्रे पूर्वतपासणी / छाननी न करता घेतली जाणार असल्यामुळे या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराला निवडीबाबतचे कोणतेही हक्क राहणार नाहीत. कागदपत्रांच्या पूर्ण छाननीनंतरच उमेदवाराची पात्रता निश्चित करण्यात येईल. ऑनलाईन / लेखी परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे, उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेल्या गृहित पात्रतेनुसार अंतरिम यादी प्रसिध्द करुन उमेदवारांच्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाईल. सदर प्रक्रियेत उमेदवार अपात्र आढळल्यास त्यास निवड प्रक्रियेतून बाद करण्यात येईल. पात्रता धारण न करणाऱ्या उमेदवारांना भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र करण्याचे संपूर्ण अधिकार म्हाडा प्रशासनाकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहेत व याबाबत उमेदवारास कोणतीही तक्रार करता येणार नाही.

५) परीक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्रात किंवा परीक्षा परिसरात मोबाईल, गणकयंत्र (कॅल्क्युलेटर), आयपॅड, तत्सम इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे किंवा इतर संपर्काची साधने वापरण्यास मनाई आहे.

६) इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झालेल्या मागासवर्ग उमेदवारांचा आरक्षित पदांकरीता विचार केला जाणार नाही.

७) वाहनचालक व शिपाई वगळता सर्व पदांची परीक्षा एकाच दिवशी एकाच वेळी घेण्यात येणार असल्याची उमेदवारांनी अर्ज करतेवेळी नोंद घ्यावी. तथापि, आवश्यकते प्रमाणे परीक्षा एकापेक्षा अधिक सत्रात अथवा दिवशी घेण्याचे अधिकार म्हाडा प्रशासनाकडे राहतील.

८) उमेदवारास परीक्षा / कागदपत्र पडताळणी इत्यादी करिता स्वखर्चाने यावे लागेल.

९) ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेच्या सर्व टप्प्यातील माहिती परिपूर्ण भरुन विहित परीक्षा शुल्क भरलेल्या उमेदवारांची यादी परीक्षेकरीता संकेत स्थळावर दर्शविण्यात येईल.

१०) उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासंबंधी अडचणी असल्यास दूरध्वनी क्रमांक ०२२-६६४०५४५७ व ०२२-६६४०५११३ वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

११) ऑनलाईन परीक्षा मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे.तथापि आवश्यकतेप्रमाणे परीक्षा स्थळामध्ये वाढ / बदल करण्याचे अधिकार म्हाडा प्रशासनाकडे राहतील. परीक्षेचे ठिकाण, वेळ, दिनांक उक्त संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येतील.

१२) परीक्षेचे प्रवेश पत्र उक्त संकेस्थळावरुन स्वत: डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी उमेदवाराची असेल. प्रवेशपत्र इतर कोणत्याही पद्धतीने पाठविले जाणार नाही.

१३) पात्र उमेदवारांचा अंतिम निकाल वरील संकेत स्थळावर जाहीर करण्यात येईल.

## ९) सर्वसाधारण अटी

१) उपरोक्त पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी http://mhada.maharashtra.gov.in आणि http://mhada.org हे संकेतस्थळ उघडण्यात आलेले आहे.

२) शासन निर्णय सा.प्र.विभाग, क्रमांक प्रशासन-२०००/प्र.क्र.५/२००१/३२, दिनांक २०/०७/२००२ व दिनांक १९/०३/२००३ शासन निर्णयान्वये उपरोक्त पदांकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी संगणक हाताळणे / वापराबाबतचे खालील नमूद केलेले प्रमाणपत्र त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांची सेवा समाप्त होईल.

अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. **किंवा** O स्तर **किंवा** A स्तर B स्तर **किंवा** C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र **किंवा**

ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र.

३) उमेदवार हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. (डोमिसाईल प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक) अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे शासनाने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवारास मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

४) निवड झालेल्या उमेदवाराने जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडून शासकीय सेवा करण्याकरीता शारिरीक क्षमतेचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

५) महाराष्ट्र शासनाने माध्यमिक शालांत परीक्षेशी समकक्ष ठरवलेली परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारांस महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून/शासनाकडून अशा परीक्षेची समकक्षता पडताळणी करून घेतल्यानंतरच नियुक्ती दिली जाईल.

६) नियुक्तीपूर्वी मूळ शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्रे, शाळा सोडल्याचा दाखला, अनुभवाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, सन २०१२-१३ साठी वैध असलेला नॉन क्रिमीलेअर दाखला (आवश्यक त्या प्रवर्गासाठी), तसेच समांतर आरक्षणांतर्गत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील प्रमाणपत्र /दाखला त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक ती मूळ कागदपत्रे इत्यादीची छाननी नियुक्ती प्राधिकारी यांचे स्तरावर केली जाईल. मूळ कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतरच नियुक्तीस पात्र उमेदवारांना बोलविण्यात येईल. उमेदवाराने प्रमाणपत्र मिळणेकरीता सादर केलेल्या अर्जाच्या पावत्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. छाननी अंती वरील प्रमाणपत्रामध्ये त्रुटी आढळल्यास / माहिती खोटी आढळल्यास नियुक्ती दिली जाणार नाही / नियुक्ती रद्द होईल.

७) सदर नियुक्त्यांसाठी परिविक्षा कालावधी २ वर्षांचा राहील.

८) शासन निर्णय क्र. पअंक-१००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६-अ, दि.२७.१०.२००९ नुसार अंशकालीन उमेदवार म्हणजे "सुशिक्षित बेरोजगारांना अर्थसहाय्य" या योजनेअंतर्गत शासकीय कार्यालयामध्ये तीन वर्षापर्यंत दरमहा मानधनावर काम केलेल्या व रोजगार मार्गदर्शन केद्रामध्ये या अनुभवाची नोंद केलेले पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार.

९) शासन निर्णय शालेय व क्रिडा विभाग क्र.राक्रिधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रियुसे-२, दिनांक ३०.४.२००५ मधील तरतुदीनुसार अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंसाठी असलेले आरक्षण त्यांची गुणवत्ता व पात्रता विचारात घेऊन उच्च वयोमर्यादा ५ वर्षापर्यंत शिथिलक्षम राहील. खुल्या प्रवर्गातील तसेच इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंसाठी असलेले आरक्षण हे समाजातील उन्नत व प्रगत गटातील उमेदवारांना अनुज्ञेय नाही. उमेदवारांनी वर्ष २०१२-२०१३ या कालावधी करिता वैध असलेले (अर्थात ३१/०३/२०१३ पर्यत वैध असलेले) उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. खेळाडू प्रमाणपत्र हे राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील खेळांचे प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे असावे. खेळाडूंच्या आरक्षित पदावर नेमणूकीकरिता ज्या उमेदवारांची शिफारस होईल त्यांची प्रमाणपत्रे संचालक, क्रिडा व युवक सेवा महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील तपासणी अहवालानंतरच त्यांना नेमणूक देण्यात येईल.

१०) शासन निर्णय महिला व बालकल्याण क्र.८२/२००१/म.से.आ-२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दि.२५/०५/२००१ मधील तरतूदीनुसार महिलांसाठी आरक्षण राहील. या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आरक्षणा

अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिला (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिला उमेदवार वगळून) उमेदवारांनी वर्ष २०१२-२०१३ या कालावधी करिता वैध असलेले (अर्थात ३१/०३/२०१३ पर्यत वैध असलेले) उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या महिला उमेदवारांना महिला आरक्षणाचा लाभ हवा असेल त्यांनी तशी मागणी ऑनलाईन अर्जात करणे आवश्यक आहे.

११) अपंग व्यक्तींकरीता आरक्षित असलेल्या पदांवरील नियुक्तीसाठी संबंधित प्रवर्गाचे किमान ४०% अपंगात्वाचे संबंधित जिल्हयाच्या शासकीय रुग्णालयातील प्राधिकृत वैद्यकीय तज्ञाने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या अपंग उमेदवारांची संबंधित वैद्यकीय मंडळाने त्या पदासाठी कार्यक्षम ठरविल्यानंतर नेमणूकीचे आदेश काढण्यात येतील.

१२) माजी सैनिक / प्रकल्पग्रस्त / भुकंपग्रस्त/ अंशकालीन कर्मचारी या समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी गट-क आणि गट-ड पदांमधील समांतर आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय आहे. गट-अ व गट-ब मधील पदांना वरील समांतर आरक्षण लागू नाही.

१३) अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अनुभवाची सेवायोजन कार्यालयाकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवार माजी सैनिक असल्यास त्यांनी जिल्हा सैनिक बोर्डात नाव नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. भूकंपग्रस्त / प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांकडे सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. छाननीच्या वेळी उमेदवारांनी सदर नोंदणी पत्र, प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

१४) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८) हा अधिनियम महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २९ जानेवारी २००४ पासून अंमलात आणला आहे. त्यानुसार उन्नत व प्रगत गटाचे (क्रिमीलेअर) तत्व वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), आणि भ.ज.(ड), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग यांना लागू आहे. या प्रवर्गातील उमेदवारांनी जात, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे वर्ष २०१२-१३ करीता वैध असलेले (दि.३१/३/२०१३ पर्यंत वैध) नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

१५) विहित वयोमर्यादेतील शासकीय / निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज त्यांचे कार्यालय प्रमुखांच्या परवानगीने विहित मार्गाने विहित मुदतीत अधिकृत संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन भरावा व अशा परवानगीची प्रत उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे व ती कागदपत्रे छाननीवेळी सादर करावी.

१६) म्हाडाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज त्यांचे कार्यालय प्रमुखांच्या परवानगीने विहित मार्गाने विहित मुदतीत अधिकृत संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन भरावा व अशा परवानगीची प्रत कर्मचाऱ्यांकडे असणे आवश्यक आहे व ती कागदपत्रे छाननीवेळी सादर करावी.

१७) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्ही-२०००/प्र.क्र.१७/२०००/१२, २८ मार्च २००५ व शासन परिपत्रक एसआरव्ही-२०००/प्र.क्र.१७/२०००/१२, ०१ जुलै २००५ नुसार विहित केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कटूंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम २००५ अन्वये शासनाने गट अ, ब, क, ड मधील सेवा प्रवेशासाठी प्रतिज्ञापन नमुना **"अ"** आवश्यक अर्हता म्हणून विहीत नमुन्यातील लहान कुटूंबाचे प्रतिज्ञापन बंधनकारक आहे. सदर प्रतिज्ञापन कागदपत्र छाननीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. प्रतिज्ञापत्राचा नमुना परिशिष्ट **"अ "** प्रमाणे आहे.

१८) अनुभवाच्या बाबतीत मासिक नियतकालीक, अंशकालीक, विद्यावेतन, अंशदानात्मक, विनावेतन, तत्वावर केलेला अंशकालीक सेवेचा कालावधी तसेच प्रभारी म्हणून नेमणूकीचा कालावधी, अतिरिक्त कार्याभाराचा कालावधी अनुभवासाठी ग्राहय धरता येणार नाही.

१९) ऑनलाईन अर्ज केला अथवा विहित अर्हता धारण केली म्हणजे परीक्षेस बोलाविण्याचा अथवा नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला आहे असे नाही. निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अर्जदार विहित अर्हता धारण न करणारा आढळल्यास, खोटी माहिती पुरविली असल्याचे आढळल्यास, एखादया अर्जदाराने त्याचा निवडीसाठी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव आणल्यास अथवा गैरप्रकाराचा अवलंब केल्यास त्यास निवड प्रक्रियेतून बाद करण्यात येईल. तसेच, नियुक्ती झाली असल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती समाप्त करण्यात येईल व त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

२०) ज्या उमेदवारांची निवड मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर होईल अशा उमेदवारास त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पूरते नियुक्ती आदेश देण्यात येतील. सदर आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीत उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे संबंधीत कार्यालयास

सादर करणे बंधनकारक आहे. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.

२१) वरील संवर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना म्हाडाच्या अधिपत्याखालील मुंबई / कोकण / पुणे / औरंगाबाद / नागपूर / नाशिक / अमरावती या विभागीय मंडळात नियुक्ती देण्यात येईल.

२२) अंतिम निवड झालेल्या उमेदवाराने सादर केलेली सर्व मुळ प्रमाणपत्रे व शासन निर्णयाच्या अटींची प्राधिकरणाकडून नियुक्त अधिका-यामार्फत तपासणी करुन पुर्तता झाल्या नंतरच नियुक्ती देण्यात येईल.

२३) वरील संवर्गातील ज्या प्रवर्गासाठी रिक्त पद नाही अशा उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावेत.

२४) निवड सूचीमधून ज्येष्ठतेनुसार उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस झाल्यानंतर शिफारस झालेला उमेदवार सदर पदावर हजर न झाल्यास किंवा संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार किंवा जाती प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी पात्र ठरत नसल्याचे आढळून आल्यास निवड सूचीतील अतिरिक्त उमेदवारांमधून अन्य उमेदवारांची निवड करण्यात येईल.

२५) विजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड या प्रवर्गाकरीता विहीत केलेले आरक्षण त्या त्या प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अंतर्गत परिवर्तनीय राहील.

२६) मध्यस्थ/ठग/म्हाडाशी संबंध असल्याचे भासविणाऱ्या व्यक्ती यांच्या गैर मार्गाने नोकरी मिळवून देण्याच्या आश्वासनापासून सावध रहाण्याच्या सूचना उमेदवारांना देण्यात येत आहेत.

२७) कोणत्याही कारणास्तव सदर जाहिरातीत दर्शविण्यात आलेली पदे अथवा सदरहू जाहिरात रद्द करण्याचा अधिकार म्हाडा प्रशासन राखून ठेवत आहे.

२८) सदर भरतीच्या नियम / निकषांमध्ये भरती पुर्ण होईपर्यंत शासन निर्णय /परिपत्रक /म्हाडा प्रशासनाच्या निर्णयानुसार बदल होऊ शकतो.

२९) कोणताही किंवा सर्व अर्ज त्यासाठी काहीही कारण न दर्शविता नाकारण्याचा अधिकार म्हाडा प्रशासन राखून ठेवीत आहे.

**सचिव**
**महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास**
**प्राधिकरण, मुंबई**

************

## परिशिष्ट "अ"

## प्रतिज्ञा पत्राचा नमुना

मी श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------------------------------------------------------------------------------
श्री ---------------------------------------------------------------------- -----यांचा/यांची मुलगा/मुलगी/पत्नी/वय ---------- वर्षे राहणार ------------------------------------------------------------------------------------------- याव्दारे पुढीलप्रमाणे असे जाहीर करतो/करते की, मी -------------------------------------------------- या पदासाठी अर्ज दाखल केलेला आहे.

आज रोजी मला -------------------- (संख्या ) इतकी हयात मुले/मुली आहेत. त्यापैकी दिनांक २८मार्च २००५ यानंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या ------------ आहे. (असल्यास जन्म दिनांक नमूद करावा ) हयात असलेल्या मुलांची संख्या दोनपेक्षा अधिक असेल तर दिनांक २८ मार्च २००५ व तदनंतर जन्माला आलेल्या मुली/मुलांमुळे या पदासाठी मी अनर्ह ठरविण्यास पात्र होईल, याची मला जाणीव आहे.

ठिकाण :

अर्जदाराची सही :

दिनांक :

नांव :

# परिशिष्ठ -ब

**<u>छायाचित्र व स्वाक्षरी स्कॅनिंग करण्याकरिता मार्गदर्शक सुचना</u>**

ऑनलाईन अर्ज भरण्यापूर्वी उमेदवाराने त्याचे/तिचे छायाचित्र व स्वाक्षरी पुढे दिलेल्या विनिर्देशाप्रमाणे स्कॅन करणे आवश्यक आहे.

- **छायाचित्र / प्रतिमा (Photograph Image)**

१. छायाचित्र हे अलीकडच्या / नजीकच्या काळात काढलेले पासपोर्ट आकाराचे रंगीत छायाचित्र असावे.
(Photograph must be a recent passport size colour picture.)

२. छायाचित्र रंगीत असावे. व त्याची पार्श्वभूमी फिकट रंगाची शक्यतो पांढ-या रंगाची असावी.
(Make sure that the picture is in colour, taken against a light-coloured, preferably white, background.)

३. तणावरहित चेह-याने/कॅमे-याकडे सरळ नजर ठेवावी.
(Look straight at the camera with a relaxed face.)

४. सूर्यप्रकाशात छायाचित्र घेतलेले असल्यास सूर्य तुमच्या मागे असावा किंवा तुम्ही सावलीत रहावे जेणेकरुन दृष्टीत तिरळेपणा किंवा फोटोत गडद छाया येणार नाही.
(If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the shade, so that you are not squinting and there are no harsh shadows.)

५. फ्लॅशचा वापर केल्यास डोळे लाल दिसणार नाहीत याची खात्री करावी.
(If you have to use flash, ensure there's no "Red-Eye".)

६. जर आपण चष्मा वापरत असल्यास प्रकाशाचे प्रतिबिंब चष्म्यावर पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. डोळे स्पष्ट दिसावे.
(If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen.)

७. टोपी, हॅट व गडद रंगाचा चष्मा घातलेले छायाचित्र स्वीकारले जाणार नाही. धार्मिक दृष्टया आवश्यक असणा-या आवरणाने आपला चेहरा झाकला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
(Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but it must not cover your face.)

८. छायाचित्र परिमाण/व्याप्ती (डायमेन्शन) शक्यतो २०० x २३० पिक्सल या आकाराचे असावे.
(Dimensions 200 x 230 pixels (preferred))

९. छायाचित्राच्या फाईलचे आकारमान २० केबी ते ५० केबी इतके असणे आवश्यक आहे.
(Size of file should be between 20kb–50 kb)

१०. स्कॅन केलेल्या छायाचित्राच्या फाईलचे आकारमान ५० केबी पेक्षा जास्त नसावे. जर फाईलचे आकारमान ५० केबी पेक्षा जास्त असल्यास स्कॅनरचे सेटिंग जसे कि, DPI Resolution, No. Colours etc. स्कॅनिंग करताना अॅडजस्ट करावे.
(Ensure that the size of the scanned image is not more than 50kb. If the size of the file is more than 50 kb, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of colours etc., during the process of scanning.)

- **स्वाक्षरीची प्रतिमा (Signature Image)**

१. अर्जदाराने काळया शाईच्या पेनने पांढ-या कागदावर स्वाक्षरी करावी.
(The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.)

२. अर्जदाराने स्वत: स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेली नसावी.
(The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.)

३. स्कॅन करुन अपलोड केलेली स्वाक्षरी प्रवेशपत्र, हजेरीपट व तत्सम कारणासाठी वापरण्यात येईल.
(The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary.)

४. परीक्षेच्यावेळी उत्तरपत्रिकेवरील अथवा अन्य चाचणीच्या वेळी केलेली स्वाक्षरी प्रवेशपत्रावरील स्वाक्षरीपेक्षा वेगळी असल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल.
(If the Applicant's signature on the answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.)

५. स्वाक्षरीचे परिमाण/व्याप्ती (डायमेन्शन) शक्यतो १४० x ६० पिक्सल या आकाराचे असावे.
(Dimensions 140 x 60 pixels (preferred))

६. स्वाक्षरीच्या फाईलचे आकारमान १० केबी ते २० केबी असावे. त्यापेक्षा जास्त आकारमान नसल्याची खात्री करावी.
(Size of file should be between 10kb – 20kb )

७. स्कॅन केलेल्या स्वाक्षरीच्या प्रतिमेचे आकारमान २० केबी हून जास्त नसावे,
(Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb.)

- **फोटो व स्वाक्षरी स्कॅन करणे (Scanning the photograph & signature)**

१. स्कॅनरचे रीझोलुशन कमीत कमी २०० dpi (डॉट्स पर इंच) ठेवावे.
(Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch))

२. प्रतिमांचे रंग हे वास्तविक रंगांमध्ये निश्चित करावे.
(Set Color to True Color)

३. फाईलचे आकारमान वर नमुद केल्याप्रमाणे असावे.
(File Size as specified above)

४. फोटो व स्वाक्षरीच्या इमेजेस त्यांच्या टोकापर्यंत क्रॉप करुन अपलोड एडीटरच्या माध्यमाने फायनल साईज नुसार क्रॉप करावे
(Crop the image in the scanner to the edge of the photograph/signature, then use the upload editor to crop the image to the final size (as specified above))

५. फोटो व स्वाक्षरीच्या इमेज फाईल्स .JPG किंवा .JPEG फॉरमॅट मध्ये असाव्यात. उदा. जसे फाईलचे नाव image001.jpg किंवा image001.jpeg इमेज चे परिमाण इमेज फाईल किंवा इमेजवर माऊस नेऊन तपासता येऊ शकेल.
(The image file should be JPG or JPEG format. An example file name is : image001.jpg or image001.jpeg Image dimensions can be checked by listing the folder files or moving the mouse over the file image icon.)

६. एमएस विंडो/एमएस ऑफिस वापरणा-या उमेदवारांनी एमएस पेंट किंवा एमएस ऑफिसच्या पिक्चर मॅनेजरचा वापर करुन छायाचित्र व स्वाक्षरी यांच्या फाईलचे आकारमान अनुक्रमे ५० केबी आणि २० केबी ठेवावी. स्कॅन केलेले कुठल्याही फॉरमॅटमधील छायाचित्र व स्वाक्षरी फाईल मेनुमधील "सेव्ह अॅज" या ऑप्शनद्वारे .JPG format मध्ये सेव्ह करता येईल. इमेज या मेनूतील क्रॉप (crop) व रिसाईज (resize) हा ऑप्शन वापरुन फाईलचे आकारमान ५० केबी किंवा २० केबी पर्यंत कमी करता येवू शकेल.
(Candidates using MS Windows/MSOffice can easily obtain photo and signature in .jpeg OR .jpg format not exceeding 50kb & 20kb respectively by using MS Paint or MSOffice Picture Manager. Scanned photograph and signature in any format can be saved in .jpeg OR .jpg format by using 'Save As' option in the File menu and size can be reduced below 50 kb (photograph) & 20 kb(signature) by using crop and then resize option (Please see point (1) & (2) above for the pixel size) in the 'Image' menu. Similar options are available in other photo editor also.)

७. जर फाईल साईज व फॉरमॅट नमुद केल्यानुसार नसेल तर एरर मेसेज प्रदर्शित होईल.
(If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.)

८. ऑनलाईन अर्ज भरताना फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करण्याची लिंक दिली जाईल.
(While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with a link to upload his/her photograph and signature.)

**उमेदवाराने आपली माहिती ऑनलाईन अर्जाच्या पृष्ठ क्र. १ वर भरावी. आपण दिलेली माहिती बरोबर असल्याचे तपासून "सबमिट/नेक्स्ट" या बटणावर क्लिक करावे. ऑनलाईन अर्जावरील पृष्ठ क्र. २ वर छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी एक लिंक दिली जाईल.**

**(While filling in the Online Application Form the candidate should fill in all his detail on Page 1. After verifying that the details he has filled in are correct and clicking on the 'Submit/Next' button a link will be provided on page 2 of the online application form to upload his photograph and signature.)**

- **छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड करण्याची कार्यपध्दत (Procedure for Uploading the Photograph and Signature)**

१. छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी दोन वेगवेगळया लिंक असतील.
(There will be two separate links for uploading Photograph and Signature)

२. हव्या असलेल्या " छायाचित्र अथवा स्वाक्षरी" या लिंक वर क्लिक करावे.
(Click on the respective link “Upload Photograph / Signature” )

३. ब्राऊझ बटनवर क्लिक करुन स्कॅन केलेले छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड करण्याचे ठिकाण निवडा (सिलेक्ट करा)
(Browse and Select the location where the Scanned Photograph / Signature file has been saved.)

४. फाईल निवडण्यासाठी तीवर क्लिक करावे.
(Select the file by clicking on it )

५. अपलोड या बटणावर क्लिक करावे.
(Click the ‘Upload’ button )

**तुमचा ऑनलाईन अर्ज छायाचित्र व हस्ताक्षर अपलोड केल्याशिवाय नोंदणीकृत होणार नाही.**
**(Your Online Application will not be registered unless you upload your photograph and signature as specified. )**

**टीप** :

१. अर्जदाराचा छायाचित्रातील चेहरा व हस्ताक्षर स्पष्ट नसल्यास नाकारला जाऊ शकतो.
(In case the face in the photograph or signature is unclear the candidate’s application may be rejected.)

२. अर्जदाराने नोंदणी केल्यानंतर ऑनलाईन अर्जाची प्रत मुद्रित करुन घ्यावी.
(Candidates are advised to take a printout of their system generated online application forms after registering.)

३. छायाचित्र व सही स्पष्ट नसल्यास अर्जदार त्याचा अर्ज एडिट करुन पुन्हा छायाचित्र व सही अपलोड करु शकतो.
(In case the photograph or signature is unclear, the candidate may edit his application re-upload his photograph or signature.)

***************